राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–716/2017/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन वृत, अलवर ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स विजय सोलवेक्स लि0,
स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकिशोर खदाव
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा
अधिकृत अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.06.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 120/ 67/ आरवेट/2014–15/15–16/अपी.प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26,55, 61 के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 हेतु पारित आदेश दिनांक 09.06.2014 में कायम की गई मांग राशि को आंशिक रूप से स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में व्यवहारी द्वारा की गयी अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत "सी" फार्म की जॉच सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय प्रतिकरापवंचन वृत अलवर(जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा की गयी। जांच में व्यवहारी कम्पनी स्वयं द्वारा विनिर्मित खाद्य तेल व अवशेष की वर्ष 2009–10 में की गई रियायती कर दर पर अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत "सी" फार्म में से राशि रू0 14,60,37,265/–की बिक्रियों पर "सी"फार्म असत्यापित एवं मिथ्या पाये गये। पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को उपायुक्त(प्रशासन) अलवर के आदेशानुसार स्थानान्तरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को सुनवाई का नोटिस जारी किया गया। व्यवहारी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन पर उपरोक्त राशि में से राशि रू0 82,76,568/– के "सी" फार्म कूटरचित एवं असत्यापित पाये गये, जिसके सम्बन्ध में किये गये संव्यवहार पर अन्तर कर राशि रू0 1,96,491/–, ब्याज रू0 1,09,214/– एवं धारा 61 में शास्ति राशि रू0 3,92,383/– कुल मांग रू0 6,98,688/– की मांग कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने

लगातार.....2

कर व ब्याज को यथावत रखा तथा शास्ति को अपास्त कर दिया। प्रकरण में जांच के समय रू0 14,60,37,265/– के "सी" फार्म असत्यापित पाये गये तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के पश्चात राशि रू0 82,76,568/– के ही "सी" फार्म असत्यापित शेष रहे है। इस प्रकार अधिकतर राशि के "सी" फार्म का सत्यापन हो गया तथा जांच अधिकारी द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट में जितने "सी" फार्म असत्यापित होना बताया था उनमें से अधिकांश "सी" फार्म जांच रिपोर्ट के बाद सत्यापित हो चुके है। व्यवहारी कम्पनी द्वारा आलौच्य अवधि के क्रय–विक्रय के समस्त संव्यवहार लेखा–पुस्तकों में दर्ज किया गया है तथा विभाग में प्रस्तुत दस्तावेजों में छुपाया नहीं गया है। क्रेता व्यवहारी द्वारा सम्बन्धित राज्यों के वाणिज्यिक कर विभाग से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार घोषणा पत्र प्राप्त नहीं किये गये है तो इसमें विक्रेता व्यवहारी का कोई दोष नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित मै0 कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तामिलनाडु राज्य व अन्य 23 वी.एस.टी.249 के प्रकाश में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने रेकार्ड की पूर्ण विवेचना कर ही शास्ति को अपास्त किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. परिणामस्वरूप अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.10.2016 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य